UPLL010031292026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), ललितपुर।

उपस्थित– चन्द्रगुप्त यादव, उच्चतर न्यायिक सेवा,
J.O. CODE–UP–3820
द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1151 वर्ष 2026,
प्रदीप पुत्र लाल सिंह, निवासी मुहल्ला नेहरूनगर, थाना कोतवाली, जिला ललितपुर.....
.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य .....अभियोजन पक्ष

सत्र परीक्षण संख्या 311/2022
अंतर्गत धारा 498A, 304–B सपठित धारा 34, 504, 506 भा०दं०सं० व 302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर।

20.07.2026 **आदेश**

1. प्रार्थी/अभियुक्त **प्रदीप** की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र सत्र परीक्षण संख्या 311/2022, अन्तर्गत धारा 498A, 304–B सपठित धारा 34, 504, 506 भा०दं०सं० व 302 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि मुल्जिम बेगुनाह बेकसूर है। वादी मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया है। प्रथम दृष्टया मुल्जिम के विरूद्ध धारा 304 बी भा.दं.सं. का अपराध गठित नहीं होता है। मुल्जिम की जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 31.05.2022 को स्वीकार कर ली गयी है। मुल्जिम ने जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। मुल्जिम के पूर्व के दोनों जामिनदारों ने अपनी जमानत वापिस ले ली है इसलिये मुल्जिम अपने नये जामिनदार न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दाखिल करने को तैयार है। मुल्जिम के जेल में रहने से उसके मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। मुल्जिम के भागने अथवा फरार होने की संभावना नहीं है। मुल्जिम का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है। द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत किया गया है और न ही खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। इसी आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क दिया गया है कि यदि अभियुक्त को

जमानत पर छोड़ा गया, तो अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही से अनुपस्थित हो जायेगा। इसी आधार पर उनके द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4. जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। अभियुक्त के जामिनदार/प्रतिभूगण द्वारा दिनांक 17.07.2026 को प्रार्थनापत्र के माध्यम से अभियुक्त की जमानत वापिस लेते हुए उन्हें उनके दायित्वों से उन्मोचित किये जाने बावत् याचना की गयी, जिसके अनुक्रम में अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया एवं अभियुक्त को धारा 346 बी.एन.एस.एस. के वारण्ट पर जिला कारागार भेजा गया था।

6. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त की ओर से मुबलिग 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू एवं इस आशय की अण्डरटेकिंग कि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि को स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–20.07.2026

(चन्द्रगुप्त यादव),
अपर सत्र न्यायाधीश
(त्वरित न्यायालय), ललितपुर।
J.O. CODE–UP 3820